

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप सं०-8/म०द०वि०यो० 35-02/2014-..... (8)/रा०, पटना-15, दि०- / /2015.

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय – बिहार महादलित विकास योजनान्तर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति, 2010 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल उपबंधित राशि 2625.10 लाख रुपये में से स्वीकृत्यादेश सं०-519(8) दिनांक-30.04.2015 के द्वारा स्वीकृत राशि 5,36,15,000 रु० तथा स्वीकृत्यादेश सं०-797(8) दिनांक-01.07.2015 द्वारा स्वीकृति राशि 4,62,57,000 के उपरान्त शेष बची राशि 16,26,38,000 रु० (सोलह करोड़ छब्बीस लाख अड़तीस हजार रु० मात्र) के व्यय की स्वीकृति।

आदेश – स्वीकृत।

2. वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस योजनान्तर्गत व्यय हेतु 2625.10 लाख रुपये (छब्बीस करोड़ पचीस लाख दस हजार रुपया) का बजट उपबन्ध प्राप्त है।

3. वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृत्यादेश सं०-519(8) दिनांक-30.04.2015 द्वारा 5,36,15,000 रु० स्वीकृत्यादेश सं०-797(8) दिनांक-01.07.2015 द्वारा 4,62,57,000 रु० कुल 9,98,72,000 (नौ करोड़ अन्ठानवे लाख बहत्तर हजार) रु० स्वीकृत की जा चुकी है।

4. राशि का व्यय राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में किया जायगा।

5. वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि का व्यय बजट शीर्ष-4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0101-भूमि अर्जन हेतु (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)-5302-भूमि अर्जन हेतु-मांग संख्या-40-विपत्र कोड-पी०-4047007890101-स्कीम कोड-REV-5528 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

6. वास भूमि रहित महादलित परिवारों के लिए M.V.R. के आधार पर प्रति पाँच डिसमल प्रति परिवार के दर से रैयती भूमि का क्रय किया जाएगा।

7. राशि का व्यय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 (वि०) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में किया जायेगा।

8. राशि की निकासी जिला के समाहर्ता द्वारा संबंधित कोषागार से की जायगी।

9. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
10. राशि का आवंटन अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-8/म0द0वि0यो0 35-02/2014-..... (8)/रा0, पटना-15, दि0- / /2015.


प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार, पटना/सचिव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

Email

ज्ञापांक-8/म0द0वि0यो0 35-02/2014-..... 909 (8)/रा0, पटना-15, दि0- 21 / 7 /2015.

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी सम्बन्धित समाहर्ता, बिहार/सभी सम्बन्धित जिला कोषागार पदाधिकारी/बजट शाखा-5, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

24